डिक्री मुकदमा इब्तदाइ

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम

पीठासीन अधिकारीः– पूजा मीना आर.ए.एस

उनवान

1. जगन पुत्र गोरधन जाति मीना निवासी जोधपुरा तहसील टोडाभीम।

वादी

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र बत्तू मीना
2. गंगा पत्नि बाबूलाल मीना
3. सचिन पुत्र बाबूलाल मीना
4. मन्टूरिया पुत्र बत्तू मीना
5. प्रभू पुत्र बत्तू मीना
6. राजेश पुत्र प्रभू मीना
7. मुनेश पुत्र प्रभू मीना
8. सुगरबाई पत्नि मुकेश मीना

निवायीयान जोधपुरा तहसील टोडाभीम।

प्रतिवादीगण

दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0ः– 143/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट, व .... हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, व डिक्री दी जाती है कि

अतः ग्राम जोधपुरा की आराजीयात ख0न0 395/0.15, 396/0.17, 398/0.30 कुल किता 3 कुल रकवा 0.62 है0 मे प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के जमाबन्दी मे दर्ज 1/3 हिस्से मे मजाहमत मदाखलत नही करे।

निज.....................मुबलिंग............................बाबत..........................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक...............अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 08.10.2024 को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कल...

टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस क[illegible]		
फीस कमीश्नर			ववत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.12.13 15:48:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

[illegible]प जिला कलेक्टर टोडाभीम

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

पीठासीन अधिकारी— पूजा मीना (आरएएस)

[illegible]

1. जगन पुत्र [illegible] जाति मीना निवासी जोधपुरा तहसील टोडाभीम। वादी

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र बद्दू मीना
2. गंगा पत्नि बाबूलाल मीना
3. सचिन पुत्र बाबूलाल मीना
4. [illegible] पुत्र बद्दू मीना
5. प्रभु पुत्र बद्दू मीना
6. राजेश पुत्र प्रभु मीना
7. मुकेश पुत्र प्रभु मीना
8. सुगनबाई पत्नि मुकेश मीना

निवासीयान जोधपुरा तहसील टोडाभीम।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति:— श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट वादी

निर्णय दिनांक—[illegible].11.2024

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्थायी निषेधाज्ञा का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम जोधपुरा की [illegible] खाता [illegible]/115, [illegible]/117, [illegible]/130 कुल किता 3 कुल रकबा [illegible] है0 मे वादी बहिस्सा 1/3 तथा बकिया हिस्से के अन्य सहखातेदार काश्तकार है प्रतिवादीगण का विवादित [illegible] से कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है। वर्णित [illegible] पूर्व में [illegible], [illegible], [illegible] पि0 [illegible] के नाम रही है [illegible] व [illegible] फौत हो चुके है [illegible] तथा [illegible] के जो वारिस है वो उनके [illegible] पर काबिज एवं दर्खील है [illegible] द्वारा अपना 1/3 हिस्सा [illegible] रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादी को बेचान कर कब्जा कर दिया है उक्त हिस्से पर [illegible] वादी [illegible] पर खाता [illegible] रकबा [illegible] है0 सहित [illegible] है0 हिस्से पर काबिज [illegible] हिस्से के अन्य सहखातेदार काश्तकार है अपने हिस्सेनुसार काबिज [illegible] का कोई विवाद नहीं है पूर्व में भी प्रतिवादीगण द्वारा कब्जे [illegible] वादी [illegible] करने पर उनके खिलाफ थाना टोडाभीम मे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, लेकिन फिर भी प्रतिवादीगण द्वारा वादी को अपने हिस्से मे काश्त नहीं करने दे रहे है जबकि बकिया हिस्से में अन्य सहखातेदारान की काश्त [illegible] हालत मे चली है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.12.13 15:48:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

[illegible] 2020

मौका दिनांक 27.08.2020 का है कि वादी अपनी हिस्से की आराजी में [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] हुआ है।

अतः प्रार्थना वादी खिलाफ प्रतिवादीगण [illegible] प्रतिवादीगण को इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम [illegible] की आराजी खसरा 338/1.16, 338/1.17, 338/1.30 कुल किता 3 कुल रकबा 1.62 है0 में वादी की खातेदारी हिस्से व कब्जे काश्त की आराजी खसरा 338/1.17 है0 में नाजायज हस्तक्षेप नहीं करे वादी को बेकब्जा नहीं करे आराजी का कुछ [illegible] नहीं करे, सिंचाई व नींव की यथास्थिति बनाये रखे।

[illegible] वाद संस्थित कर प्रतिवादीगण को [illegible] समन तामील किया गया। प्रतिवादी [illegible] अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

वादी ने वाद पत्र के समर्थन में अपना स्वयं का शपथपत्र पेश किया।

वादी वकील की बहस सुनी गई। वादी वकील ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों का [illegible] करते हुए बयान किया कि वाद में वर्णित आराजीयात में वादी बहिस्सा 1/3 तथा बाकी हिस्से के अन्य सहखातेदार काश्तकार है, प्रतिवादीगण का विवादित आराजीयात से कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है। वर्णित आराजीयात पूर्व में [illegible], [illegible], [illegible] पि० [illegible] के नाम रही है [illegible] व [illegible] फौत हो चुके हैं [illegible] तथा [illegible] के जो वारिस है वो उनके [illegible] पर काबिज एवं काश्तकार है [illegible] द्वारा अपना 1/3 हिस्सा [illegible] रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादी को बेचान कर कब्जा करा दिया है उक्त हिस्से पर वादी काबिज एवं काश्तकार है तथा वादी मौके पर खसरा 338 रकबा 1.17 है0 सहित 1.27 है0 हिस्से पर काबिज है। बकाया हिस्से के अन्य सहखातेदार काश्तकार है अपने हिस्सेनुसार काबिज है अन्य सहखातेदार से वादी का कोई विवाद नहीं है, लेकिन फिर भी प्रतिवादीगण द्वारा वादी को अपने हिस्से में काश्त नहीं करने दे रहे है क्योंकि बकाया हिस्से में अन्य सहखातेदारान को [illegible] [illegible] हालत में छोड़ी है। अतः वादी का [illegible] करते हुए प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि [illegible] नाजायज हस्तक्षेप नहीं करे, सिंचाई व नींव की यथास्थिति [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.12.13 15:48:54 IST
Reason: SelfAttested

वादी वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली [illegible] शामिल दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली में शामिल ग्राम [illegible] की जमाबन्दी संवत 2073–76 के खसरा

[illegible]
[illegible]

Scanned with OKEN Scanner

43/2023

0.15, 396/0.17, 398/0.30 कुल किता 3 कुल रकवा 0.62 है0 मे वादी जगन पुत्र धन हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। बकिया हिस्से मे अन्य सहखातेदार मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। लेकिन प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड नही है। प्रतिवादी न0 1 व 7 पत्रावली मे शामिल आदेशिका दिनांक 26.12.2023 को जरिये वकालतन उपस्थिति दर्ज करवाई, परन्तु अगली नियत पेशी पर प्रतिवादी न0 1 व 7 अनुपस्थित न्यायायल रहे है नाही उनकी और से अधिवक्ता उपस्थित हुआ है। शेष प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना अनुपस्थित न्यायायल रहे है। इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण का वर्णित आराजीयात से किसी प्रकार का कोई संबध साबित नही है। अतः वादी का दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः ग्राम जोधपुरा की आराजीयात ख0न0 395/0.15, 396/0.17, 398/0.30 कुल किता 3 कुल रकवा 0.62 है0 मे प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के जमाबन्दी मे दर्ज 1/3 हिस्से मे मजाहमत मदाखलत नही करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.12.13 15:48:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner